

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 9

नागर विमानन मंत्रालय

क. वस्तुओं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	111.33	699.96	811.29	191.80	621.50	813.30	191.21	649.17	840.38	219.80	590.68	810.48
पूँजी	5814.94	...	5814.94	2528.20	...	2528.20	3357.83	...	3357.83	1780.20	...	1780.20
जोड़	5926.27	699.96	6626.23	2720.00	621.50	3341.50	3549.04	649.17	4198.21	2000.00	590.68	2590.68
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	29.67	29.67
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	3053	100.30	...	100.30
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	26.00	15.43	41.43
	5053	39.00	...	39.00
	<i>जोड़</i>	<i>65.00</i>	<i>15.43</i>	<i>80.43</i>
4. नागर विमानन महानिदेशालय	3053	51.00	77.71	128.71
	3601	0.01	0.01
	5053	28.00	...	28.00
	<i>जोड़</i>	<i>79.00</i>	<i>77.72</i>	<i>156.72</i>
5. स्वायत्त/सांविधिक निकाय/संबद्ध कार्यालय												
5.01 एयरो क्लब ऑफ इंडिया	3053	0.10	...	0.10
5.02 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	3053	42.40	...	42.40
5.03 विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	3053	7.00	7.00
5.04 विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण	3053	0.50	0.50
5.05 होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिं.	5053	0.10	...	0.10
5.06 पवन हंस लि.	5053	0.10	...	0.10
<i>जोड़- स्वायत्त/सांविधिक निकाय/संबद्ध कार्यालय</i>										<i>42.70</i>	<i>7.50</i>	<i>50.20</i>
6. एयर इंडिया लि.	5053	1713.00	...	1713.00
7. हज चार्जों के प्रचालन हेतु सभिसडी	2225	450.00	450.00
8. रेलवे सुरक्षा आयोग	3075	10.40	10.40

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3075	-0.04	-0.04
कुल	10.36	10.36
सं.अ. 2015-2016												
9. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.67	20.48	22.15	50.00	22.06	72.06	52.00	22.41	74.41
नागर विमानन												
10. नागर विमानन महानिदेशक	3053	17.22	64.44	81.66	24.00	70.64	94.64	44.04	68.28	112.32
	5053	19.95	...	19.95	26.00	...	26.00	26.00	...	26.00
जोड़		37.17	64.44	101.61	50.00	70.64	120.64	70.04	68.28	138.32
11. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	0.68	8.90	9.58	37.80	10.08	47.88	13.17	10.83	24.00
	5053	14.99	...	14.99	2.20	...	2.20	26.83	...	26.83
जोड़		15.67	8.90	24.57	40.00	10.08	50.08	40.00	10.83	50.83
12. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के उसके हिस्से का भुगतान	3053	0.01	0.01
13. हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	2225	530.00	530.00
	3053	...	577.08	577.08	...	500.00	500.00
जोड़		...	577.08	577.08	...	500.00	500.00	...	530.00	530.00
14. सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	5780.00	...	5780.00	2500.00	...	2500.00	3305.00	...	3305.00
	7053
जोड़		5780.00	...	5780.00	2500.00	...	2500.00	3305.00	...	3305.00
15. अन्य व्यय	3053	91.76	21.02	112.78	80.00	9.60	89.60	...	8.55	8.55
	3601	0.01	0.01
जोड़		91.76	21.02	112.78	80.00	9.61	89.61	...	8.55	8.55
जोड़-नागर विमानन		5924.60	671.44	6596.04	2670.00	590.34	3260.34	3415.04	617.66	4032.70
अन्य परिवहन सेवाएं												
16. रेलवे सुरक्षा आयुक्त घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3075	...	8.04	8.04	...	9.14	9.14	...	9.14	9.14
	3075	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
कुल		...	8.04	8.04	...	9.10	9.10	...	9.10	9.10
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान												
17.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552
17.02 एएआई को अनुदान	3053	82.00	...	82.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए		82.00	...	82.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
<i>परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान</i>													
कुल जोड़	5926.27	699.96	6626.23	2720.00	621.50	3341.50	3549.04	649.17	4198.21	2000.00	590.68	2590.68	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
14.01 एयर इंडिया लि.	13053	5780.00	418.00	6198.00	2500.00	705.00	3205.00	3300.00	900.00	4200.00	1713.00	352.00	2065.00
14.02 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	...	1308.22	1308.22	...	1820.00	1820.00	...	1818.00	1818.00	...	1966.00	1966.00
14.03 पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	...	18.36	18.36	...	110.95	110.95	...	38.85	38.85	0.10	99.00	99.10
14.04 भारतीय होटल निगम लि.	13053	5.00	...	5.00	0.10	...	0.10
14.05 एअर इंडिया चार्टर्स लि.	13053	5.00	5.00
जोड़		5780.00	1744.58	7524.58	2500.00	2640.95	5140.95	3305.00	2756.85	6061.85	1713.20	2417.00	4130.20
ग. योजना परिव्यय													
1. नागर विमानन	13053	5926.27	1744.58	7670.85	2720.00	2640.95	5360.95	3467.04	2756.85	6223.89	2000.00	2417.00	4417.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	82.00	...	82.00
जोड़		5926.27	1744.58	7670.85	2720.00	2640.95	5360.95	3549.04	2756.85	6305.89	2000.00	2417.00	4417.00

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं – नागर विमानन:** यह प्रावधान मंत्रालय और एएआईवी सचिवालय व्यय के लिए है। इस योजना में विमानन क्षेत्र में भारतीय वाहकों की कुशलता में संवर्धन, आईटी नेटवर्किंग तथा क्षमता संवर्धन, तथा कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों पर व्यय शामिल है।

2. **भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण:** योजना के अंतर्गत का प्रावधान भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के लिए किया गया है।

3. **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो:** प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए है। योजना प्रावधान सुरक्षा उपकरणों, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण तथा उसके सहायक सामान और रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरण के प्रापण के लिए निर्धारित किया गया है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पुनर्संरचना, मुख्यालय भवन के निर्माण और संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के लिए बजटीय प्रावधान भी किया गया है। आईसीएओ के सहकारी विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के लिए तथा विमानन सुरक्षा से संबंधित सम्मेलनों और अधिवेशनों में भारत के अंशदान के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

4. **नागर विमानन महानिदेशक:** इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान नागर विमानन महानिदेशालय और उसके क्षेत्रीय तथा फ़िल्ड कार्यालयों की स्थापना संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए है। प्रावधान में प्रशिक्षण परियोजनाएं, सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं, ई-जीसीए परियोजनाएं, नागर विमानन महानिदेशालय भवन का निर्माण तथा संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना शामिल है। इसमें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के प्रति भारत के अंशदान का प्रावधान भी शामिल है।

5. **स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय और संबद्ध कार्यालय:** बजटीय प्रावधान राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के निर्माण, एरा, एईआरएएटी के सचिवीय व्ययों के लिए है। इसमें पवन हंस लि. (पीएचएल), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और भारतीय होटल निगम हेतु इक्विटी प्रावधान भी शामिल हैं।

6. **एअर इंडिया लिमिटेड:** इस शीर्ष के अंतर्गत एअर इंडिया लिमिटेड में सरकारी निवेशक के लिए प्रावधान है।

7. **हज चार्टरों के प्रचालनों के लिए राज सहायता:** हज चार्टरों के प्रचालन के लिए एयरलाइनों को राज सहायता के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है।

8. **रेल संरक्षा आयोग:** इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान रेल संरक्षा आयोग की स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए है, जो रेल यात्रा और प्रचालन में सुरक्षा से संबंधित है और भारतीय रेल अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में विनिर्दिष्ट कतिपय सांविधिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए है।